न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन– 271/2025 अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रार्थीगण	विप्रार्थीगण
1. अर्जुनराम पुत्र जोधाराम 2. प्रकाशचन्द पुत्र जोधाराम जाति–विश्नोई, निवासी–सियागपुरा, पटवार क्षेत्र–शोभाला दर्शान, तहसील–सेड़वा, जिला–बाडमेर।	1. सुखराम पुत्र आईदानराम जाति–विश्नोई, निवासी–सियागपुरा, पटवार क्षेत्र–शोभाला दर्शान, तहसील–सेडवा, जिला–बाडमेर 2. तहसीलदार–सेडवा, जिला–बाडमेर 3. शाखा प्रबन्धक, आईसीआईसीआई शाखा मुरहान का तला, तहसील–सेडवा, जिला बाडमेर।

वकील प्रार्थीगण :– श्री महिपालदान चारण

निर्णय

दिनांकः– 17.10.2025

प्रार्थीगण अर्जुनराम पुत्र जोधाराम जाति विश्नोई निवासी सियागपुरा, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर वगैरा द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण सद्भाविक काश्तकार है एवं प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जासुद खेत खसरा नम्बर 1417/288 रकबा 4.5487 हैक्टेयर मौजा सियागपुरा, पटवार क्षेत्र शोभाला दर्शान, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर में आया हुआ है। जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त करता है तथा अपने रहवास हेतु ढाणीयां, टांके व मवेशियों के बाडे आदि बने हुऐ हैं। प्रार्थीगण की जोत पर आने जाने हेतु विप्रार्थी संख्या 01 के खेत खसरा नम्बर 288 रकबा 4.4596 हैक्टेयर मौजा सियागपुरा, पटवार क्षेत्र शोभाला दर्शान, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर मे से आगे डामर सड़क तक आने जाने के रूप में प्रयोग में ले रहे हैं जिस रास्ते को परिशिष्ट 'अ' में बरंग लाल से दर्शाया गया हैं, परन्तु बरसात की ऋतु में विप्रार्थी बरंग लाल रास्ते की भूमि को काश्त कर लेता है जिससे प्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 15:02:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

को अपनी जोत में जाने से बाधित हो जाते है एवं हर बार रास्ते को लेकर भारी विरोध होता है। झगड़ा होने की पूर्ण संम्भावना रहती है।

क्र. सं.	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा हैक्टेयर में	रास्ते की चौड़ाई	मौजा	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	7	9
1.	सुखराम पुत्र आईदान	288	4–4596	20 फीट	सियागपुरा	बारानी दोयम

प्रार्थीगण ने जो रास्ता वैकल्पिक रूप से परिशिष्ट 'अ' में बरंग लाल रंग से दर्शाया है उससे विप्रार्थी संख्या 01 के खातेदारी की भूमि है जिससे आगे डामर सड़क स्थित है तथा उक्त सड़क मार्ग से प्रार्थीगण के आने जाने हेतु मार्ग की सख्त आवश्यकता है तथा मार्ग के अभाव में प्रार्थीगण अपनी ढाणीयों आदि में जाने में रूकावट पैदा होती है। प्रार्थीगण रास्ते की भूमि का उपयोग मात्र आवागमन हेतु करेगें, इस संबंध में प्रार्थीगण रास्ते बाबत् विप्रार्थी की खातेदारी भूमि के अन्य किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। प्रार्थीगण की जोत तक रास्ता स्वीकृत करने बाबत् नियमानुसार जो प्रतिकर प्रार्थीगण पर अधिरोपित की जायेगी वो प्रार्थीगण अदा करने हेतु तत्पर है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि सड़क मार्ग से प्रार्थीगण के खेत खसरा नद्यम्बर 1417/288 रकबा 4.5487 हैक्टेयर मौजा सियागपुरा, पटवार मण्डल शोभाला दर्शान, तहसील सेड़वा, जिला बाडमेर में जाने हेतु विप्रार्थी संख्या 01 के खेत खसरा नम्बर 288 रकबा 4.4596 हैक्टेयर मौजा सियागपुरा, पटवार मण्डल शोभाला दर्शान, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर में से नया मार्ग खोलने का आदेश स्वीकृत कर मार्ग को राजस्व रेकर्ड में अंकित करावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए नोटिस/सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त हुए, जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने चाहे गये रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया। तहसीलदार सेड़वा को प्रार्थी द्वारा [illegible] रास्ते से संबंधित तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन हेतु न्यायालय के पत्रांक: रीडर/2025/[illegible]28 दिनांक 09.09.2025 के द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 15:02:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

तहसीलदार सेड़वा को लिखा गया। कार्यालय तहसीलदार सेड़वा के पत्रांकः भू.अ. /2025/1050 दिनांक 29.09.2025 के द्वारा तथ्यात्मक मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

तहसीलदार सेड़वा के पत्रांकः भू.अ./2025/1050 दिनांक 29.09.2025 के द्वारा तथ्यात्मक मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 23.09.2025 अनुसार अर्जुनराम पुत्र जोधाराम , कैलाश पुत्र अर्जुनराम जातियान विश्नोई की उपस्थिति में भूमि का मौका मुआयना किया गया। मौका रिपोर्ट निम्नानुसार तैयार की गई–

क्र. सं.	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा हैक्ट. में	रास्ते की चौड़ाई	प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा	मौजा	रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	सुखराम पुत्र आईदान	288	4–4596	20 फीट	0–0182 हैक्टेयर	सियागपुरा	6916/–	बारानी दोयम

संलग्न नक्शे में प्रस्तावित रास्ते को चमकीले रंग से दर्शाया गया है। उक्त रास्ते में किसी प्रकार मकान, कीमती, कीमती पेड़, आदि नहीं है। प्रस्तावित रास्ते की भूमि मौके पर खाली है, प्रस्तावित रास्ते के अलावा निकटतम वैकल्पिक रास्ते का अभाव है। ग्राम सियागपुरा कि डीएलसी दर सिंचित सडक के पास 3,80,000 प्रति हैक्टेयर है। उक्त मौका रिपोर्ट पढकर सुनाई गई। उपस्थित मोतबरान ने हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान किए।

प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। विप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए उनके विरूद्ध एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाती है। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। संलग्न दस्तावेजों एवं मौका रिपोर्ट पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त चिंतन मनन किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों, तथ्यों आदि पर बहस की, जिस पर न्यायालय द्वारा स्वस्थ चित्त से विचारण किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा दस्तावेजी साक्ष्यों पर युक्तियुक्त विचारणोपरांत यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है और यह केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है तथा इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 स्वीकार योग्य प्रतीत होता है तथा प्रार्थीगण को जो रास्ता दिया जाना है, उसका विवरण निम्नानुसार है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 15:02:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

क्र. सं.	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा हैक्ट. में	रास्ते की चौड़ाई	प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा	मौजा	रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	सुखराम पुत्र आईदान	288	4–4596	20 फीट	0–0182 हैक्टेयर	सियागपुरा	6916/–	बारानी दोयम

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी/संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) (a) में स्पष्ट है कि अगर समझौते से क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं होता है तो जिला स्तरीय कमेटी/डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थीगण को रास्ता दिया जा सकता है और अन्य कोई पेड़ फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

प्रार्थी के आवेदन की गंभीरता व अत्यधिक आवश्यकता के दृष्टिगत उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1)–(b) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार के पत्रांकः भू.अ./2025/1050 दिनांक 29.09.2025 द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द दिनांक 23.09.2025 एवं संलग्न आंशिक नक्शा ट्रेस बरंग चमकीले रंग(पीले) से दर्शाया गया है जिसके अनुसार 20 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण के पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थीगण क्षतिपूर्ति राशि नियमानुसार डीएलसी दर की दो गुना राजकोष में अदा करेगें। तहसीलदार सेड़वा के कार्यालय पत्रांकः भू.अ./2025/1050 दिनांक 29.09.2025 से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच रिपोर्ट मय फर्द दिनांक 23.09.2025 व नक्शा निर्णय का अनिवार्य अंग रहेंगे। प्रार्थीगण को उक्त खसरे में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :–

1. तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में संलग्न आंशिक नक्शा ट्रेस में दर्शाया गया है कि प्रस्तावित नए रास्तें में समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित (लागू) डीएलसी या निर्धारित दरों की दो गुना राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा लिखित में न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 15:02:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

2. तहसीलदार द्वारा गणना उपरान्त निर्धारित राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित पक्षकार (विप्रार्थी) को नए रास्तें में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुना के बराबर होगी।
3. प्रार्थीगण द्वारा नए प्रस्तावित रास्तें में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि तहसीलदार सेड़वा को प्रदान करने के उपरान्त ही स्वयं द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जायेगा।
4. नए प्रस्तावित 20 फीट रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में ''गैर मुमकिन रास्ता'' के रूप में अभिलिखित की जायेगी।
5. प्रार्थीगण को उक्त 20 फीट चौड़े रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होंगे।
6. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरों में से कम करते हुए तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तों की पालना के अध्याधीन ही प्रार्थीगण को नया रास्ता दिए जाने हेतु आज दिनांक 17.10.2025 को आदेश किया जाता है। मौका फर्द मय नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेंगे। निर्णय पालना हेतु तहसीलदार सेड़वा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर, दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

सहायक कलक्टर सेड़वा

(बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 15:02:26 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.)सेडवा जिला बाडमेर

क्रमांक / भू.अ. / 2025 / 1050 दिनांकः—29.09.2025

प्रेषितः— श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, सेड़वा

विशयः— राजस्व आवेदन सं 271 / 2025 अनवान अर्जुनराम वगैरह बनाम सुखराम वगैरह अंतर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(A) में मौका रिपोर्ट भिजवाने बावत् ।

उपरोक्त विशयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्व 271 / 2025 अनवान अर्जुनराम वगैरह बनाम सुखराम वगैरह अन्तर्गत आर टी एक्ट की धारा 251 ए तहत ग्राम सियागपुरा के खसरा 1417 / 288 में आने जाने के लिए विप्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 288 में से रास्ता दिया जाने हेतु आप द्वारा मौका रिपोर्ट चाही गई थी। जिसकी पालना में भू. अ. निरीक्षक सोनडी द्वारा दिनांक 23.09.2025 को मौके पर जाकर जांच कर मौका रिपोर्ट व प्रस्तावित रास्ते हेतु नक्शा तैयार किया गया। मौका रिपोर्ट व प्रस्तावित रास्ते का नक्शा इस पत्रांक के सलंगन भिजवाया जा रहा है।

सलंगनः— उपरोक्तानुसार

भवदीय

(जोताराम मीणा)
तहसीलदार (भू.अ.)सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Jota Ram Meena
Designation : Tehsildar
Date: 2025.09.29 17:27:39 IST
Reason: Approved

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 15:02:26 IST
Reason: SelfAttested

वाद आवेदन सं. 27/2025 उनवान अर्जुनराम बनाम सुखराम वगैरह अन्तर्गत राज. काश्तकारी अधिनियम 1956 धारा "251 A"

मौका रिपोर्ट

(धारा 251(A) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत)

मैं ....धनराज.... (नाम) भू. अभिलेख निरीक्षक वृत्त ....सोनड़ी...., कार्यालय, तहसीलदार ....सेड़वा.... के आदेश कमांक ....929-930.... दिनांक ....10.09.25.... की पालना में भूमि की मौका रिपोर्ट तैयार करने हेतु आज दिनांक ..23.9.25.. समय ....10....बजे आराजी खसरा नम्बर– ....288.... वाके ग्राम ..सिमागपुरा.. पटवार मंडल ....शोभाला दशान.... पर श्री ....मांगीलाल बिश्नोई.... पटवारी के साथ मौके पर पहुंचा।

समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय से नोटिस कमांक ....01.... दिनांक ....23.9.25.... द्वारा जारी किये गये थे जिनकी तामील विधिवत रूप से करवायी गयी। समस्त पक्षकारों में से मौके पर निम्न पक्षकार उपस्थित थे :–

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	प्रार्थी/अप्रार्थी
01	अर्जुनराम /	जोधाराम	53	बिश्नोई	अर्जुन
02	कैलाश /	अर्जुनराम	18	—	कैलाश

विपक्षी बाबुलाल / सुखराम मौके पर उपस्थित नहि थे। दूरभाष से सम्पर्क नहि हुआ।

उपर्युक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मौका मुआयना किया गया एवं मौका रिपोर्ट निम्मानुसार तैयार की गई :–

क्र.सं.	खातेदार का नाम	खसरा	रकबा	रास्ते कि चौड़ाई	प्रस्तावित रास्ते मे समाविष्ट भूमि	मौजा	समाविष्ट भूमि की कीमत	भूमि किस्म
01	सुखराम पुत्र आईदान कौम बिश्नोई	288	4.4536 हे.	20 फिट	2 हे.	सिमागपुरा	~~6951~~/- 5916/-	बा. दोमट

संलग्न नक्शे मे प्रस्तावित रास्ते को चमकिले [illegible] से दर्शाया गया है उक्त रास्ते मे किसी प्रकार मकान, कीमती पेड़ आदि नहि है प्रस्तावित रास्ते की भूमि मौके पर खाली है प्रस्तावित रास्ते के अलावा निकटतम वैकल्पिक रास्ते का अभाव है ग्राम सिमागपुरा की DLC दर सिंचित सड़क के पास 3,40,000/- प्रति हेक्टेयर है संलग्न नक्शा फर्द मौका का आभिन्न अंग है।

(हस्ताक्षर) तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

(हस्ताक्षर) 23/9/2025 पटवारी (भू.अ.) शोभाला दशान

(हस्ताक्षर) 23/9/25 ILR सोनड़ी

(हस्ताक्षर) प्रस्तुत कार्य — सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 15:02:26 IST
Reason: SelfAttested

उक्त मौका रिपोर्ट उपस्थित पक्षकारों और मौतबिरानों को पढ़कर सुनायी गई। मौके पर उपस्थित पक्षकारों ने पढ़, सुन एवं समझ कर निम्न प्रकार हस्ताक्षर किये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	जाति	हस्ताक्षर	प्रार्थी/अप्रार्थी
01	अर्जुनराम	जोधाराम	43		प्रार्थी अर्जुन
02	कैलाश	अर्जुनराम	18		प्रार्थी कैलाश

निम्न पक्षकारों ने मौका रिपोर्ट पढ़, सुन, समझ कर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	प्रार्थी/अप्रार्थी
		NIL			

मौके पर उपस्थित अन्य मौतबिरान को भी उक्त मौका रिपोर्ट पढ़कर सुनायी गयी और उनके निम्न प्रकार हस्ताक्षर करवाये गये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	पता/ मोबाईल नं.
01	अर्जुनराम	जोधाराम	43	विश्नोई	9680312129 अर्जुन
02	कैलाश	अर्जुनराम	18	"	8302342440 कैलाश

इस प्रकार आज दिनांक 23/9/25 को मौका रिपोर्ट तैयार की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 15:02:26 IST
Reason: SelfAttested

हस्ताक्षर 23/09/2025
पटवारी
पं.मु.
भागीलाल मांजू
पटवारी (भू.अ.) शोभाला दशान
तहसील सेड़वा

हस्ताक्षर 23/9/25
भू. अ. निरीक्षक
वृत...................

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतलिपि)

दनिांक : 23/09/2025 02:23:15 PM

जिला :बाड़मेर   तहसील : सेड़वा   भू. अ. नि. क्षेत्र :सोनड़ी

हल्का :शोभाला दर्शान   ग्राम : सयिागपुरा

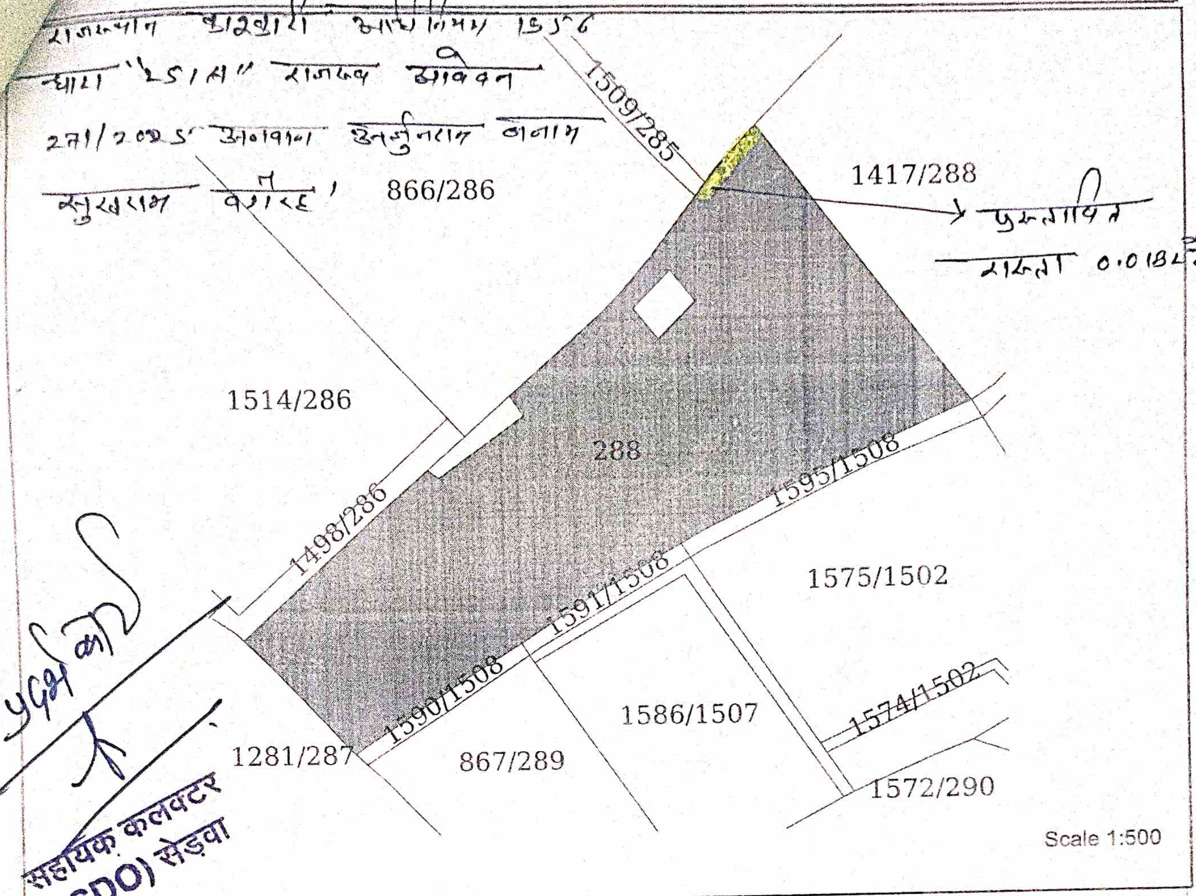

खसरा संख्या :288 क्षेत्रफल : 4.4596 Hectare खाता संख्या : 83पुराना खाता संख्या :58
भूमि कसिम[क्षेत्रफल लगान]: बा.दोयम [4.4596, 1.69]
1.) सुखराम पुत्र आईदान हस्सिा- पूरण जाति- वश्निोई सा. देह खातेदार (पूरण खाता) आईसीआईसीआई बैंक लमिटिड शाखा BURHAN KA TALA

प्रमाणित प्रतिलिपि

23/9/25
ILR सोनड़ी

सक्षम अधकिारी के हस्ताक्षर एंव सील

23/09/2025
मांगीलाल माजू
पटवारी (भू.अ.) शोभाला दर्शान
तहसील सेड़वा

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रारथी की जानकारी के लिए है।
२. इसका उपयोग कसिी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं कयिा जा सकता है।
३. प्रवष्टियों में संशोधन/सत्यापति प्रतलिपि हेतु सम्बंधति जलिा/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

23/09/2025
मांगीलाल माजू
पटवारी (भू.अ.) शोभाला दर्शान
तहसील सेड़वा

अर्जुन

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 15:02:26 IST
Reason: SelfAttested